प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 02 मार्च, 2016

विषय:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 में अनुमोदित परियोजना 'वेजीटेबुल इनिसिएटिव फॉर अरबन क्लस्टर्स' के अवशेष कार्यक्रमों को वर्ष 2015-16 में क्रियान्वयन हेतु एस0एल0एस0सी0 की बैठक दिनांक 18.6.2015 में दिये गये अनुमोदन के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि रू0-229.13 लाख को व्यय किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृत प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-349-50/बजट-आर0के0वी0वाई0/2015-16, दिनांक 23.02.2016 *एवं कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1832/12-3-2015/100(46)/2008, दिनांक 05*.1.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत एस0एल0एस0सी0 से अनुमोदित परियोजना 'वेजीटेबुल इनिसिएटिव फॉर अरबन क्लस्टर्स' के सापेक्ष अवशेष कार्यक्रमों को वर्ष 2015-16 में उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 05.1.2016 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0-229.13 लाख (रूपये दो करोड़ उन्तीस लाख तेरह हजार) मात्र व्यय किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति कृषि अनुभाग-3 के उक्त संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

**(धनराशि हजार रूपये में)**

| **परियोजना का नाम** | **लेखाशीर्षक/मानक मद** | **अवमुक्त धनराशि** | **वांछित प्रशासकीय स्वीकृति** |
|---|---|---|---|
| **'वेजीटेबुल इनिसिएटिव फॉर अरबन क्लस्टर्स'** | अनुदान सं0-11<br>लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनगत-<br>800-अन्य व्यय-<br>02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-<br>0204-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की योजनायें<br>27-सब्सिडी<br>42-अन्य व्यय | 22913 | 22913 |
| | **योग-** | **22913** | **22913** |

**(रूपये दो करोड़ उन्तीस लाख तेरह हजार) मात्र**

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) उक्त धनराशि का व्यय एस0एल0एस0सी0 द्वारा अनुमोदित योजना/मद पर ही व्यय किया जायेगा। अन्य योजना/मदों/कार्यो पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, वित्त नियंत्रक तथा संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(2) स्वीकृत धनराशि के व्यय किये जाने के पूर्व सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(3) व्यय भारत सरकार/शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों के अधीन गाइड लाइन में निहित निर्देशानुसार ही किया जायेगा।

(4) योजनान्तर्गत लभार्थी को दिये जा रहे लाभ में द्विरावृत्ति नहीं होगी अर्थात राज्य सेक्टर या किसी अन्य समान योजना के लभार्थी इस योजना में शामिल नहीं होंगे। लाभार्थियों के नाम **Net** पर रहेंगे।

(5) भण्डार क्रय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) योजनान्तर्गत व्यय को स्वीकृत धनराशि के अन्दर सीमित रखा जायेगा। अतिरिक्त धनराशि मिलने की प्रत्याशा में व्यय को किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से बढ़ाया नहीं जायेगा।

(7) अप्रयुक्त धनराशि शासन को यथा समय समर्पित की जायेगी।

(8) अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय विवरण प्रत्येक माह की 5 तारीख तक उद्यान अनुभाग, कृषि अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन तथा नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, कृषि निदेशालय, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,

( इन्दुबाला कटियार )
उप सचिव।

**संख्या -9/2016-537/58-2016, तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेंषितः-

(1) महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) सम्बन्धित कोषाधिकारी लखनऊ।
(3) नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(5) वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
(6) कृषि अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

( इन्दुबाला कटियार )
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in